पत्रांक–11/न०वि०मा०–03/2014 346 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद्/सभी नगर पंचायत।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार।

पटना, दिनांक– 07.03.2019

विषय :– वास्तुकला परिषद्, नई दिल्ली से निबंधित वास्तुविदों के संबंध में वास्तुकार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को नगरपालिकाओं एवं आयोजना प्राधिकारों में प्रभावी करने के संबंध में।

प्रसंग :– वास्तुकला परिषद्, नई दिल्ली का पत्रांक–CA/28/2016/AE, दिनांक–03.02.2016 एवं दिनांक–30.03.2017 को प्रकाशित Public Notice।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वास्तुकला परिषद् के प्रासंगिक पत्र एवं Public Notice की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि

(1). वास्तुकला परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त प्रासंगिक पत्र में राज्य सरकारों से अधीनस्थ नगरपालिकाओं/विकास प्राधिकारों आदि से वास्तुविदों के निबंधन से छूट के संबंध में दिशानिदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, जो निम्न है :–

i) Not to Register any person as an Architect for practising the profession of an architect under their jurisdiction ; and

ii) Allow architects having valid registration as an Architect from the Council of Architecture to carry on the profession of architecture under their jurisdiction without any registration।

(2). वास्तुकला परिषद् द्वारा प्रकाशित Public Notice में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–14.02.2017 को Civil Appeal Nos. 3346-3348 of 2005 में पारित आदेश के संदर्भ में संबंधित प्राधिकारों से किए गए अनुरोध निम्न हैं :–

i) Only an architect (or firm of registered architects) registered under the Architects Act, 1972 with the Council can practice as an architect in the country. Any person not registered as an architect with the Council be not allowed by the development authorities/local bodies/muncipal authorities etc. to practice as an architect under their jurisdiction.

ii) No development authority/Local body/Municipal authority i.e; Municipal Corporation, Municipal Council, etc. should insist architects registered with the Council to obtain further registration/license to practice as an Architect under their jurisdiction.

iii) Development Authorities/Local bodies/Municipal Bodies, etc. should not register/license any person as an architect under their jurisdiction.

iv) The relevant existing building bye-laws/regulations requiring registration/licensing any architects be amended to comply with the provisions of the Architects Act, 1972 and the above Order of the Hon'ble Supreme Court of India.

(3). (i). बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–312(4) में वास्तुकार अधिनियम, 2007 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वास्तुकार द्वारा योजना तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार है – "Plan" means a plan prepared by a surveyor, or a draughtsman, or an engineer holding a degree fo Bachelor of Engineering, or an Architect registered under the Architects Act, 1972 |

(ii). बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपविधि–2(107) में Registered Architect को परिभाषित किया गया है, जो निम्न प्रकार है – "Registered Architect" means an Architect registered with the Council of Architecture and who has not been debarred by the Authority |

(iii). बिहार भवन उपविधि, 2014 में संशोधन के क्रम में विभाग के स्तर पर वास्तुविदों एवं अन्य तकनीकि व्यक्तियों तथा भवन निर्माताओं के Online Empanelment से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो स्वीकृति के क्रम में प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने, वास्तुकला परिषद्, नई दिल्ली से पंजीकृत वास्तुविदों द्वारा समर्पित नक्शा भवन उपविधि के तहत् स्वीकृति हेतु मान्य किए जाने तथा इस कार्य हेतु इनका अलग से नगरपालिका एवं आयोजना प्राधिकार के स्तर पर निबंधन नहीं किए जाने का तत्काल निदेश दिया जाता है। नक्शा स्वीकृति से संबंधित आवेदन एवं नक्शे पर संबंधित वास्तुविद्, वास्तुकला परिषद् से आवंटित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

7/3/2013

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना।